"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 नवम्बर 2014—अग्रहायण 7, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-01/2014/1-15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री कृष्ण चंद्र यादव, भा.व.से. (1984), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री राजेन्द्र कुमार डे, भा.व.से. (1985), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

नया रायपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. (2002), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ करता है तथा इसके साथ-साथ संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री प्रसन्ना आर., भा.प्र.से. (2004), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2014

क्रमांक ई 7-10/2014/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री जगदीश सोनकर भा.प्र.से., सहायक कलेक्टर, कांकेर को दिनांक 25-09-2014 से दिनांक 04-10-2014 तक (10 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 05, 06 अक्टूबर, 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री सोनकर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश सोनकर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक ई 7-08/2013/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, तत्कालीन सहायक कलेक्टर, [illegible]बा को दिनांक 27-06-2013 से दिनांक 12-07-2013 तक (16 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दि[illegible]क 13 एवं 14 जुलाई, 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री मीणा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश [illegible]ाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से [illegible]था आदेशानुसार,
मुकुन्द [illegible]भिये, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-31/2014/32.—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा कोरबा विकास योजना के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नगर पालिका निगम, कोरबा द्वारा 50 एकड़ भूमि में स्टेडियम का निर्माण किया जा चुका है. स्टेडियम के अलावा किसी भी प्रकार के निस्तार की आवश्यकता न होने के कारण अतिरिक्त अन्य निजी भूमि की आवश्यकता नहीं है. निजी भूमि ग्राम कोरबा, प.ह.नं. 09 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 175/1, 172/2, 175/3 175/13, 175/5, 175/11, 175/4 का भाग, 3/1झ, 3/1ञ, 3/1प, 3/1घ/2, 172, 171 का भाग, 170 का भाग, 165 का भाग, 668, 163, 164 3/1त का भाग, 3/4छ, 3/4च, 3/4ज, 3/4झ, 3/4ग, 3/4ख, कुल रकबा 12.232 हेक्टेयर लगभग स्टेडियम हेतु आरक्षित है, से प्रभावित होने के कारण संशोधित किया जाना आवश्यक है.

2. अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 35(2) के प्रावधानों के अंतर्गत यह समाधान होने के पश्चात्, कि कोरबा विकास योजना में वर्णित ग्राम कोरबा, प.ह.नं. 09 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 175/1, 172/2, 175/3, 175/13, 175/5, 175/11, 175/4 का भाग, 3/1झ, 3/1ञ, 3/1प, 3/1घ/2, 172, 171 का भाग, 170 का भाग, 165 का भाग, 668, 163, 164 3/1 त का भाग, 3/4छ, 3/4च, 3/4ज, 3/4झ, 3/4ग, 3/4ख कुल रकबा 12.232 हेक्टेयर लगभग स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि को कोरबा विकास योजना में स्टेडियम से निकाल दिये जाने की मंजूरी देता है.

3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि कोरबा विकास योजना में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी, और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 14 नवम्बर 2014

क्रमांक/8027/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	मगरधोखरा प. ह. नं. 06	0.279	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव (छ.ग.)	बनियाटोला-मगरधोखरा मार्ग पर स्थित झूरा नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 17 जुलाई 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-वर्ष 2012-13—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-मुंगेली
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मर्राकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.46 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	229	0.38
	227/3	0.60
	225/2	0.11
	224/1	0.37
	224/2	0.50
	224/3	0.50
योग	6	2.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मर्राकोना एनीकट निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 नवम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.174 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
163/3	0.121
288, 291, 296	0.208
165	0.045
269/2	0.063
179/3	0.026
182/1	0.029
186/6	0.010
277	0.082
270/2, 271/2	0.170
273/2	0.094
302/1	0.167
77/2	0.090
181/2	0.270
278/1	0.040
287/1	0.047
297/3	0.037
299/2	0.210
175/2, 176/2	0.020
282	0.097
285/2	0.080
180	0.053

(1)	(2)
182/2	0.020
182/4	0.020
268/2	0.162
280/2, 281/2	0.077
287/2	0.064
302	0.191
120	0.283
276	0.072
278/3	0.005
267/2	0.061
297/4	0.032
164	0.283
175/1, 176/1	0.192
289/1	0.231
269/3	0.069
300, 301	0.502
182/3ख	0.040
269/4	0.032
268/3	0.004
266, 271	0.125
267/1	0.036
71/1	0.318
121	0.198
123/2	0.076
279	0.065
297/1	0.030
298/2	0.087
183	0.160
175/3, 176/3	0.020
167	0.119
179/1	0.026
284/1	0.039
284/2	0.073
268/1क	0.022
270, 271	0.170
280, 281/4	0.026
274	0.066
299/1	0.231
122	0.672
98/11	0.090
298/1	0.043
297/2	0.037
298/4	0.044
290	0.134
280/1, 281/1	0.026
269/1	0.032
179/2	0.026
182/2क	0.048
182/5	0.010
268/1ख	0.023
273/1	0.073
280, 281/3	0.077
275	0.084
178	0.158
123/1	0.228
278/2	0.027
285/1	0.080
297/5	0.084
योग 79	8.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7984/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अम्बागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-बरारमुण्डी, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.403 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16	0.036
	17	0.036
	27/1	0.170
	27/2	0.161
योग	4	0.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नांदिया-बरारमुण्डी मार्ग पर स्थित शिवनाथ नदी पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7985/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुरमुन्दा, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	866	0.145
योग		0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निर्माणाधीन मुरमुन्दा एनीकट कम काजवे हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7986/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नागतराई, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	125/1	0.012
	129	0.061
	128	0.040
	130	0.049
योग	4	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7987/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गाजमर्रा, प.ह.नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.134 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	172	0.134
योग	1	0.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगरगढ़-चिचोला मार्ग के कि.मी. 13/10 पर गाजमर्रा नाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्रमांक/7988/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घुसेरा, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	673/1	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जटकन्हार-हरनसिंघी मार्ग पर पेटेश्री नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर (छ.ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्रमांक 4024/सामान्य/451/2014.—श्री मनोज सिंह, पार्षद, इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 14 सामान्य सभा की बैठक दिनांक 19-06-2013, 04-09-2013 एवं 15-01-2014 में लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 215/सचिव/न.पा.नि./2014 दिनांक 28-02-2014 द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 17(2) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया गया.

कलेक्टर सरगुजा के पत्र क्रमांक 5526/वलि/2014 अम्बिकापुर दिनांक 30-07-2014 अनुसार आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के प्रतिवेदन क्रमांक/722/न.पा.नि./सचिव/2014 दिनांक 07-07-2014 से सहमत होकर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में विहत प्रावधान के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया है.

श्री मनोज सिंह, पार्षद, इन्दिरा गांधी वार्ड क्रमांक 14, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर को अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक 27-10-2014 दिन सोमवार को अपरान्ह 3.00 बजे का समय दिया गया था. श्री सिंह को कारण बताओ सूचना तामीली पश्चात् भी वे निर्धारित दिनांक 27-10-2014 को न्यायालयीन समय में उपस्थित नहीं हुए. अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी.

आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर एवं कलेक्टर सरगुजा के प्रतिवेदन के सहमत होते हुए मैं टी. सी. महावर, आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 17(2) सी का श्री सिंह द्वारा उल्लंघन पाए जाने के कारण श्री मनोज सिंह, पार्षद, इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 14 को पार्षद के पद से बर्खास्त करता हूं.

टी. सी. महावर,
आयुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 30th October 2014

No. 1217/Confdl./2014/II-3-14/2000 (Pt.-II).—On the application of Shri Jaideep, Member of Higher Judicial Service and presently posted as Additional District & Sessions Judge, Uttar Bastar (Kanker), he is hereby, permitted to change his name as "Jaideep Garg" in place of "Jaideep". It is directed that necessary changes be affected in all his records.

By the order of Hon'ble Acting Chief Justice,
ASHOK PANDA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2014

क्रमांक 196/दो-2-39/2004.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर दिनांक 30-09-2014 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अशोक कुमार पण्डा, रजिस्ट्रार जनरल.